उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)
14–अशोक मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ
U.P. POWER CORPORATION LIMITED
(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)
CIN : U32201UP1999SGC024928

संख्या : 435–पें0एवंआर0–28 / पाकालि / 16–4–पें0एवंआर0 / 16 दिनांक : 13 मई, 2016

कार्यालय ज्ञाप

उ0प्र0 शासन के आदेश सं0–1/2016/41/24–पी–2–16–सा0(84)/2014 दिनांक 13.01.2016 द्वारा निवर्तमान उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद के दिनांक 14 जनवरी, 2000 को विद्यमान पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों एवं उक्त तिथि को कार्यरत ऐसे कार्मिकों जिन्हें पेंशन सुविधा अनुमन्य हैं तथा जो विभिन्न उत्तराधिकारी कम्पनियों से दिनांक 14 जनवरी, 2000 के उपरान्त सेवानिवृत्त हुये अथवा होंगे, की पेंशन/पारिवारिक पेंशन, उपादान एवं पेंशन राशिकरण का कोषागारों के माध्यम से भुगतान किये जाने के आदेश निर्गत किये गये हैं।

2. उपरोक्त शासनादेश के बिन्दु 3 (VII) में उल्लिखित प्राविधान अधोवत् हैं:–

"**निगमों का अंशदान:** सचिव यू0पी0 स्टेट पावर सेक्टर ईम्प्लाईज ट्रस्ट द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए, विभिन्न निगमों का अंशदान, जो सम्बन्धित निगम में कार्यरत कर्मचारियों के वेतन एवं महंगाई भत्ते के योग के 19.08 प्रतिशत (अथवा जो दर निर्धारित की जाये) के बराबर होगा, प्राप्त कर मासिक आधार पर वेतन वितरण के 15 दिवस के अन्दर अंशदान की धनराशि चालान द्वारा कलेक्ट्रेट कोषागार, लखनऊ में जमा करायी जायेगी। संगत विवरण के साथ चालान की सत्यापित प्रतिलिपि निदेशक, कोषागार एवं निदेशक, पेंशन को धनराशि जमा कराये जाने के एक सप्ताह के अन्दर प्रेषित की जायेगी। कम्पनी अधिनियम, 2013 के अनुसार, उक्त अंशदान की दर का निर्धारण समय–समय पर एक्चुरियल वैल्यूएशन कराते हुये सम्बन्धित निगम द्वारा किया जायेगा।

अंशदान की धनराशि अधोलिखित लेखाशीर्ष में जमा करायी जायेगी–

"0071 पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के सम्बन्ध में अंशदान तथा वसूली–01–सिविल–101–अभिदान और अंशदान–07–विद्युत क्षेत्र के पेंशनरों के सम्बन्ध में विद्युत कम्पनियों का अंशदान"

अंशदान की दर के सम्बन्ध में सम्बन्धित कम्पनियों द्वारा आदेश जारी किये जायेंगे तथा प्रतिलिपि के साथ निदेशक, पेंशन एवं निदेशक, कोषागार को पृष्ठांकित की जायेगी।

निदेशक, कोषागार एवं निदेशक, पेंशन को चालान की सत्यापित प्रतिलिपि, सम्बन्धित कम्पनी के कार्मिकों, जिनके वेतन के आधार पर अंशदान जमा किया गया है, की संख्या इंगित करते हुये स्टेटमेण्ट भी सचिव, उ0प्र0 पांवर सेक्टर इम्प्लाईज ट्रस्ट द्वारा प्रेषित किया जायेगा।"

[illegible] उक्त आदेशों के कियान्वयन के सम्बन्ध में यह आदेश किये जाते है कि :–

(क) उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, इसकी सहयोगी विद्युत वितरण कम्पनियों एवं केस्को में कार्यरत कर्मचारियों के मूलवेतन, ग्रेडपे एवं महंगाई भत्ते के योग के 19.08 प्रतिशत (वर्तमान में निर्धारित दर) अंशदान की धनराशि प्रत्येक माह वेतन वितरण के पश्चात, *सम्बन्धित उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 (मु0) एवं सहयोगी वितरण कम्पनियों द्वारा*

उ0 प्र0 पा0 से0 इम्प0 ट्रस्ट
शक्ति भवन, लखनऊ।
क्रमसं0........../ट्रस्ट दिनांक
आवश्यक/महत्वपूर्ण
1. उपसचिव/अधिशासी अभियन्ता
~~2. लेखाधिकारी~~
3. स0 लेखाधिकारी श्री Prabodh Chandra
. कार्य अधिकारी श्री..........
. लेखाकार श्री..........
. स0 लेखाकार श्री..........

Email to all nigam

वि0ले0अ0 ले0अ0 सचिव (ट्रस्ट)

3 दिन के अन्दर सचिव, उ0प्र0 पावर सेक्टर इम्प्लाईज ट्रस्ट, शक्ति भवन, लखनऊ को उपलब्ध कराना सुनिश्चित की जाये।

(ख) मासिक अंशदान की एक मुश्त राशि उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, डिस्काम, केस्को द्वारा कम्पनी के कार्मिकों की संख्या जिनके वेतन के आधार पर मासिक अंशदान की गणना की गई है, के विवरण के साथ प्रेषित की जाएगी।

(ग) सचिव, उ0प्र0 पावर सेक्टर इम्प्लाईज ट्रस्ट, प्रत्येक माह की 15 तारीख तक सकल अंशदान की धनराशि चालान द्वारा कलेक्ट्रेट कोषागार, लखनऊ में जमा करायेंगे। साथ ही उपरोक्तानुसार संगत विवरण के साथ चालान की सत्यापित प्रति निदेशक कोषागार एवं निदेशक पेंशन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

(घ) प्रत्येक कम्पनी द्वारा कम्पनी अधिनियम 2013 के अनुसार एक्युरियल वैल्यूएशन कराते हुये उक्त अंशदान की दर का निर्धारण समय–समय पर किया जायेगा।

(ड़) उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0 एवं उ0प्र0 जल विद्युत उत्पादन निगम लि0, से अनुरोध है कि उक्त शासनादेश के प्राविधानों के अनुसार अपने–अपने निगम के कार्मिकों के सम्बन्ध में कार्यालय ज्ञाप निर्गत करने, अपेक्षित अंशदान सचिव, उ0प्र0 पावर सेक्टर इम्प्लाईज ट्रस्ट, लखनऊ को ससमय कर्मचारियों के विवरण सहित भिजवाने तथा अपने–अपने निगम/कम्पनी का एक्युरियल वैल्यूएशन कराते हुये उक्त अंशदान की दर का निर्धारण समय–समय पर कराना सुनिश्चित करायेंगे।

निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0)

संख्या : 435 पें0एवंआर0–28/पाकालि/16 तददिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव (वित्त), उ0प्र0 शासन के निजी सचिव।
2. प्रमुख सचिव (ऊर्जा), उ0प्र0 शासन के निजी सचिव।
3. निजी सचिव, अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
4. निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक/निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
5. निदेशक, पेंशन निदेशालय, उ0प्र0।
6. निदेशक, वित्तीय सांख्यकीय निदेशालय, कक्ष संख्या–148, प्रथम तल, जवाहर भवन, लखनऊ।
7. निदेशक कोषागार, जवाहर भवन/कलेक्ट्रेट, लखनऊ।
8. प्रबन्ध निदेशक, मध्यांचल/पूर्वांचल/पश्चिमांचल/दक्षिणांचल, विद्युत वितरण निगम लि0, लखनऊ/वाराणसी/मेरठ/आगरा, केस्को, कानपुर।
9. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
10. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
11. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
12. निदेशक (वित्त), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
13. सचिव, उ0प्र0 पावर सेक्टर इम्प्लाईज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

आज्ञा से,

(उमेश गुप्त)
संयुक्त सचिव(अरा0)

का0/प्र0